

तारीख  
हुकम

25-02-20

पत्रावली फेर हई बकील धारि उपस्थित। अप्रार्थी सं। बाद तामील अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस पर प्राथी बकील को सुना गया बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का मही भौति अवलोकन किया गया जिससे एन इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्रत्यक्ष में संवेधित कोष में भूमिका यदि भी इस शब्द बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है इसलिये सह-आवेदरान का प्रत्येक इंच पर कटाया माना जाना बाजिल है।

ऐसी शूरत में अनावश्यक मुकदमों का भी बंद एवं कानूनी पेचीदगीयों में नही हो इसको ध्यान में रखते हुये प्रथी पक्ष धारि स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दाश जारी शुका स्थगन आदेश दिनांक 19.07.24 को तार्फसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फेरसल शुमार लेकर नंबर से का है। तथा संलग्न मूल वाद है।

*Jc*  
उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राजग